रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 1969/श्रावण 27, 1891

No. 130] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 1969/SRAVANA 27, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

RESOLUTION

New Delhi, the 18th August 1969

No. 3(1)/68-P. & P.—Under their Resolution No. 3(1)/67-BOT/P. & P, dated the 13th January, 1968, as amended by their Resolutions No. 3(1)/67-BOT/P. & P, dated the 18th April, 1968, 1/3/68-Ad. C., dated the 28th October, 1968, and 3(1)/68-P. & P, dated the 10th January, 1969, the erstwhile Ministry of Commerce had constituted.

(i) the Advisory Council on Trade, and

(ii) reconstituted the Board of Trade,

with an initial tenure of 2 years from January, 1968. Consequent on the reorganisation of the Ministries and the constitution of the new Ministry of Foreign Trade and Supply and the transfer of the work relating to internal trade to the new Ministry of Industrial Development, Internal trade and Company Affairs, it has become necessary to make consequential changes in the terms of reference etc., of the above two bodies. The Government of India have, therefore, decided to issue two separate resolutions incorporating all the changes effected so far. This resolution relates to the Board of Trade; a separate resolution has already been issued in regard to the Advisory Council on Trade *vide* Resolution No. 1/3/68-Ad. C., dated 9th July, 1969.

The revised terms of reference, constitution etc., of the Board of Trade will be as under:—

2. **Constitution.**—The Board of Trade will be a compact body consisting of about 30 members as shown in the Schedule Annexed. It will be presided over by the Minister of Foreign Trade and Supply and in his absence by the Deputy Minister of F.T. & S. The Secretary, Department of Foreign Trade will function as its Executive Vice-Chairman.

The Board of Trade will have two Secretaries viz., (1) Joint Secretary Export Promotion, Department of Foreign Trade, Ministry of Foreign Trade and Supply and (2) The Chief Controller of Imports and Exports. The Secretaries of the Board will be assisted in the discharge of their duties by the Director/Deputy Secretary, in charge of the Policy and Planning Section of the Department of Foreign Trade, Ministry of Foreign Trade and Supply.

Members of the Board will hold office for two years at the end of which it will be reconstituted. The present tenure of the Board will expire on 31st December, 1969.

3. **Terms of Reference.**—The Board will concern itself mainly with problems and policies relating to the development of the Country's foreign trade and make recommendations to Government from time to time, with particular reference to:—

(1) expansion of production bearing on import savings and export earnings,

(2) product development and adaptation with a view to the expansion of overseas sales,

(3) improvements in export marketing mechanism and media, including the extension of State Trading and;

(4) provision of commercial services for the benefit of the commercial community with special regard to export programmes;

4. The Board shall have powers to co-opt members, not exceeding five, for stated periods. The Chairman of the Board may also invite (specially) to the meetings of the Board such other persons as may be considered necessary from time to time.

5. The headquarters of the Board will be in New Delhi; they may meet at any place in India.

SCHEDULE

Members of the Board of Trade.

Minister of F.T. & S.—Chairman.

Deputy Minister of F.T. & S.—Deputy Chairman.

Secretary, Deptt. of F.T.—Executive Vice-Chairman.

II. *Members of Parliament.*

Shri S. R. Vasavada.—Member.

III. *Representatives of Commercial and Industrial Organisations.*

President, Federation of India Chambers of Commerce and Industry.—Shri Ramnath A. Podar.

President, Associated Chamber of Commerce and Industry of India.—Mr. J. M. Parsons.

Chairman, Federation of Indian Export Organisations.—Shri P. A. Narielwala.

President, Indian Banks Association, Bombay.—Shri R. B. Shah.

President, Indian National Steam ship Owners Association, Bombay.—Shri G. T. Kamdar.

IV. *Representatives of Public Sector Trading Organisations.*

Chairman, State Trading Corporation.—Shri P. L. Tandon.
Chairman, Minerals and Metals Trading Corporation.—Shri R. R. Bahl.

V. *Non-official Members.*

Shri Birla, K. K.

Shri Chidambaram, M. A.

Shri Goenka, R. P.

Shri Jajodia, K. K.

Shri Kasturbhai Lalbhai

Shri Kirloskar, S. L.

Shri Kothari, D. C.

Shri Lokanathan, P. S.

Shri Modi, K. N.

Shri Mohd. Yusuf.

Shri Manubhai Amersey.

Shri Mookerjee, K. N.

Shri Shah, B. K.

Shri Tata, Naval.

VI. *Representative of Reserve Bank of India.*

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.—Shri B. N. Adarkar.

VII *Official Representatives* Ex-offcio.

Secretary, Department of Supply, Ministry of F.T. & S.—Shri K. Ram.

Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Food and Agriculture.—Shri B. R. Patel.

Secretary, Department of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.—Shri N. N. Wanchoo.

Additional Secretary, Department of F.T. Ministry of F.T. & S.—Shri T. P. Singh.

Special Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.—Dr. I. G. Patel.

Secretaries:

1. Joint Secretary, Export Promotion, Ministry of Foreign Trade and Supply.

2. Chief Controller of Imports and Exports.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Dy. Chairman, Members of the Board of Trade, the Private and Military Secretaries to the President, The Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Minnstries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

(विदेशी व्यापार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1969.

सं० 3 (1)/68-पी० एण्ड पी०—ओ०टी०/पी०एण्ड पी० दिनांक 13 जनवरी, 1968, जो संकल्प संख्या 3(1)/67-बी० ओ० टी०/पी० एण्ड पी० दिनांक 18 अप्रैल, 1968, 1/3/68-एड० सी० दिनांक 28 अक्तूबर, 1968 तथा 3(1)/68-पी० एण्ड पी० दिनांक 10 जनवरी, 1969 द्वारा संशोधित हुआ, के अंतर्गत, भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय ने—

(1) व्यापार सलाहकार परिषद् तथा

(2) पुनर्गठित व्यापार बोर्ड,

जिनकी प्रारंभिक अवधि जनवरी, 1968 से दो वर्ष की थी, का गठन किया था। मंत्रालयों के पुनर्गठन तथा विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के गठन तथा आंतरिक व्यापार सम्बन्धी कार्य के, औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य के नये मंत्रालय को अंतरित किये जाने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त दो निकायों के विचारार्थ विषयों आदि में परिणामी परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। अतः भारत सरकार ने ऐसे दो अलग अलग संकल्प जारी करने का विनिश्चय किया जिनमें अभी तक हुए सभी परिवर्तन शामिल हों। यह संकल्प व्यापार बोर्ड से सम्बन्धित है, व्यापार सलाहकार परिषद् के सम्बन्ध में संकल्प संख्या 1/3/68—एड० सी० दिनांक 9-7-1969 के द्वारा अलग से एक संकल्प पहले ही जारी किया जा चुका है।

व्यापार बोर्ड के संशोधित विचारार्थ विषय, आदि निम्नोक्त प्रकार होंगे :

2. **गठन**:—व्यापार बोर्ड एक सुगठित निकाय होगा, जिसमें संलग्न अनुसूची में उल्लिखित तीस सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति उप-मंत्री करेंगे। विदेशी व्यापार विभाग के सचिव इसके कार्यपालक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

व्यापार बोर्ड में दो सचिव होंगे अर्थात् (1) संयुक्त सचिव, निर्यात संवर्धन, विदेशी व्यापार विभाग, विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय और (2) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात। उनके कार्य-निर्वहन में विदेशी व्यापार विभाग, विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के नीति तथा योजना अनुभाग के प्रभारी निदेशक/उप-सचिव सहायता करेंगे।

बोर्ड के सदस्य दो वर्ष तक पद धारण करेंगे और उसके बाद इसका पुनर्गठन किया जायेगा। बोर्ड की वर्तमान कार्यावधि 31-12-1969 को समाप्त होगी।

3. **विचारार्थ विषय**—बोर्ड मुख्यतः देश के व्यापार के विकास से सम्बन्धित समस्याओं तथा नीतियों पर विचार करेगा और वह निम्नलिखित विशेष संदर्भों में समय-समय पर सरकार को सिफारिशें करेगा :—

(1) आयात में कमी तथा निर्यात आय के संदर्भ में उत्पादन का विस्तार ;

(2) विदेशों में बिक्री का विस्तार करने की दृष्टि से उत्पादों का विकास तथा अनुकूलन :

(3) निर्यात विपणन के स्वरूप तथा साधनों में सुधार, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार का विस्तार भी शामिल है ;

(4) निर्यात कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में, वाणिज्यिक समुदाय के लाभ के लिए वाणिज्यिक सेवाएं उपलब्ध करना ।

4. बोर्ड को उक्त अवधि के लिए पांच से अधिक सदस्यों को सहयोजित करने की शक्ति होगी । बोर्ड का अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी (विशेष रूप में) बैठक में आमंत्रित कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये ।

5. बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन उस की बैठक भारत में किसी भी स्थान पर हो सकती है ।

अनुसूची

व्यापार बोर्ड के सदस्य

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्री . —अध्यक्ष

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति उप-मंत्री . —उपाध्यक्ष

सचिव, विदेशी व्यापार विभाग . —कार्यपालक उपाध्यक्ष ।

2. संसद्-सदस्य

श्री एस० आर० वासवड़ा . —सदस्य

3. वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि

अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ —श्री रामनाथ ए० पोद्दार

अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संबद्ध मण्डल श्री जे० एम० पारसंस

अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ —श्री पी० ए० नारियलवाला

अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, बम्बई —श्री आर० बी० शाह

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय वाष्प-पोत, स्वामी संघ, बम्बई —श्री जी० टी० कामदार

4. सरकारी क्षेत्र के व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि

अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम । —श्री पी० एल० टंडन

अध्यक्ष, खनिज तथा धातु व्यापार निगम —श्री आर० आर० बहल

5. गैर-सरकारी] सदस्य

श्री के० के० बिड़ला

श्री एम० ए० चिदम्बरम

श्री आर० पी० गोयनका

श्री के० के० अजोदिया

श्री कस्तूर भाई लाल भाई

श्री एस० एल० किर्लोस्कर

श्री डी० सी० कोठारी

श्री पी० एस० लोकनाथन्

श्री के० एन० मोदी

श्री मोहम्मद यूसुफ

श्री मनुभाई अमरसे

श्री के० एन० मुखर्जी

श्री बी० के० शाह

श्री नवल टाटा

6. भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि
डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई —श्री बी० एन० अडारकर

7. सरकारी प्रतिनिधि (पदेन)
सचिव, आपूर्ति विभाग,
विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय —श्री के० राम

सचिव, कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय —श्री बी० आर० पटेल

सचिव, औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य विभाग । —श्री एन० एन० यांबू

अपर सचिव, विदेशी व्यापार विभाग, विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय —श्री टी० पी० सिंह

विशेष सचिव, वित्तीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय —डा० आई० जे० पटेल

सचिव

1. संयुक्त सचिव, निर्यात संवर्धन, विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय ।

2. आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सकल्प की एक एक प्रति व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सब सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु सकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980